न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : पृथ्वी पाल सिंह,
आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)
जमानत प्रार्थनापत्र सं. : 274/2026 (CIS NO. 274/2026)
CNR NO. : RJHG050004112026

रमेश चन्द्र उर्फ शंकर पुत्र श्री भागीरथ राम निवासी हंसादेश तहसील लोहावट पुलिस थाना लोहावट जिला फलौदी राजस्थान।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ ।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 792/2025 पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन अपराध अंतर्गत धारा 8/18, 22 एन डी पी एस एक्ट व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री साहिल चतुर्वेदी अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से ।

–: आदेश :– **दिनांक : 02.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त रमेश चन्द्र उर्फ शंकर की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रस्तुत किया गया। नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी एवं पुलिस जांच रिपोर्ट पेश हुई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित मामले में अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	मामले का विशेष विवरण	
1.	एफ आई आर सं.	792/2025
2	संबंधित पुलिस थाना	हनुमानगढ़ टाउन
3.	जिला	हनुमानगढ़
4.	एफआईआर में दर्ज अपराध धारा	8/18,22 एनडीपीएस एक्ट
5.	गिरफ्तारी की दिनांक	20.12.2025
	न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की दिनांक	29.12.2025

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.12.2025 को ज्योति उ.नि. थानाधिकारी पीएस–हनुमानगढ़ टाउन द्वारा अन्य मुलाजमान के साथ गश्त करते हुए 11.20 पीएम पर गांव कोहला के पास जामनगर–अमृतसर एक्सप्रेस वे पर बने पुल के नीचे मेगा हाईवे रोड हनुमानगढ टाउन से रावतसर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की गई। नाकाबंदी के दौरान 11.40 पीएम पर श्री देवकरण कानि–287 डीएसटी टीम सैक्टर हनुमानगढ आसूचना संकलन करता

हआ नाकाबंदी प्वाइंट पर उपस्थित आया जिसने अवगत करवाया कि आज कोहला में निर्माणाधीन टोल टैक्स यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां आज रात बडे स्तर पर मादक पदार्थ की डिलीवरी होनी है। इसी दौरान श्री रमेश कुमार कानि–803 ने भी थानाधिकारी को उक्त सूचना उसे जरिये मुखबिर मिलने बाबत् अवगत करवाया गया। जिस पर उक्त इतिला के मुताबिक 12.40 एएम पर जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस वे पर बने पुल के नीचे मेगा हाईवे रोड हनुमानगढ टाउन से रावतसर रोही कोहला से रवाना होकर निर्माणाधीन सडक व नये बन रहे टोल प्लाजा के पास संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की गई तो 12.50 एएम पर नये टोल प्लाजा से भारतमाला पर चढने वाली सडक पर दो जवान उम्र के व्यक्ति खडे मिले जिसमें से एक के हाथ में बैग था। उन्हें रोककर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम संतोष पुत्र श्री जगदीश एवं दूसरे ने अपना नाम रमेश चन्द्र उर्फ शंकर पुत्र श्री भागीरथ होना बताया। तलाशी लिए जाने पर अभियुक्त श्री रमेश चन्द्र की पहनी हुई पेंट की दांयी डब में एक पिस्टल मिली जिसे चैक करने पर उसके मैगजीन में तीन कारतूस भरे हुए थे। जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया तथा उसके कब्जेशुदा बैग के अंदर 06 प्लास्टिक की सफेद पारदर्शी थैलियों में अवैध मादक पदार्थ एमडी मिथाईलिन डाई–ऑक्सी होना पाया गया तथा तीन थैलियों में अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया। जिनका वजन करने पर एमडी की प्लास्टिक थैलियों सहित वजन करने पर प्रथम थैली का वजन 01 किलो 17 ग्राम, दूसरी थैली का वजन 01 किलो करीब 18 ग्राम, तीसरी थैली का वजन 01 किलो करीब 20 ग्राम, चौथी थैली का वजन 01 किलो करीब 22 ग्राम, पांचवी थैली का वजन 01 किलो करीब 19 ग्राम, छठी थैली का वजन 01 किलो करीब 21 ग्राम इस प्रकार कुल 06 किलो 117 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद हुई। अफीम की थैलियों का वजन करने पर प्रथम थैली का वजन 01 किलो 09 ग्राम, दूसरी थैली का वजन 01 किलो 02 ग्राम, तीसरी थैली का वजन 01 किलोग्राम इस प्रकार कुल 03 किलो 11 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई। उक्त बरामदशुदा मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स एवं अफीम एवं अवैध पिस्टल मय कारतूस अपने कब्जा में रखने बाबत लाईसेन्स/परमिट पूछा तो नहीं होना बताया। तत्पश्चात् नियमानुसार अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया व बाद मौका की समस्त कार्यवाही थाना पर वापस आकर एफ.आई.आर. नंबर 792/2025 धारा 8/18, 22, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया व तफ्तीश श्री अशोक बिश्नोई पु.नि. पीएस–हनुमानगढ़ टाउन को सुपुर्द की गई। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त रमेश उर्फ शंकर के विरूद्ध पूर्व में निम्नलिखित आपराधिक प्रकरण दर्ज हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा एवं पुलिस थाना	नतीजा अदालत
1	135/19	147, 149, 458, 436, 504, 427 आईपीसी पीएस–भोजासर	–

2	141/16	341 323 325 307 आईपीसी पीएस–मतोडा	–
3	69/16	392/34 आईपीसी पीएस–चाखु	–
4	188/20	341 323 143 308 आईपीसी पीएस–लोहावट	–
5	82/20	143 341 323 395 307 आईपीसी पीएस–चाखु	–
6	307/20	399 304 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट पीएस–लोहावट	–
7	102/21	341 307 392 427 440 394 397 398 120 बी आईपीसी पीएस–लोहावट	–
8	135/21	224 225 332 353 216 आईपीसी पीएस–फलौदी	–
9	234/21	147 148 149 323 395 307 आईपीसी, 3/25 आर्म्स एक्ट, पीएस–फलोदी	–
10	79/20	447 429 440 307 आईपीसी पीएस–चाखु	–
11	48/21	8/15 एनडीपीएस एक्ट, 3/25 आर्म्स एक्ट पीएस–चाखु	–
12	77/20	143 307 427 आईपीसी पीएस–चाखू	–
13	86/19	341 323 आईपीसी पीएस–लोहावट	–
14	333/24	356 (2), 308(4), 351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पीएस–लोहावट	–
15	91/25	191 (2), 191(3), 126(2), 115(2), 109(1), 309(4), 324(4) बीएनएस पीएस–लोहावट	–
16	116/25	115 (2), 126(2), 119(1), 308(2) बीएनएस पीएस–लोहावट	–
17	290/25	115 (2), 126(2), 109(1) बीएनएस पीएस– फलौदी	–

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा झुठा बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफतारी की दिनांक से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/ अभियुक्त अपने घर में अकेला कमाने वाला है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पडेगा। प्रकरण् के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत के प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में दिनाक 20.12.2025 को अभियुक्त संतोष एवं प्रार्थी/अभियुक्त रमेश चन्द्र उर्फ शंकर के संयुक्त कब्जेशुदा बैग में से 06 प्लास्टिक थैलियों में 06 किलो 117 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी तथा तीन प्लास्टिक थैलियों में 03 किलो 11 ग्राम अफीम बरामद हुई तथा

प्रार्थी/अभियुक्त रमेश चन्द्र उर्फ शंकर की पहनी पेंट की दांयी डब में एक पिस्टल व मैगजीन में तीन जिंदा कारतूस बरामद होने पर उन्हें गिरफतार किया गया था। हमारे समाज में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, न केवल नवयुवकों अपितु प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को नशे ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। नशे का व्यापार इस कदर समाज में बढ़ चुका है कि यह समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। नशे से संबंधित अपराध का प्रत्यक्षतः प्रभाव न केवल व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है अपितु नशा करने वाले अप्रत्यक्षतः चोरी, डकैती जैसे अप्रत्यक्ष अपराधों से भी जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। **केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य 17 प्रकरण दर्ज है, जिनमें एक प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है,अन्य आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसे जमानत का लाभ दिए जाने पर वह अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा।** ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में मादक पदार्थो की तस्करी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे है। प्रकरण में बरामदशुदा अवैध एन.डी.पी.एस. घटक की मात्रा वाणिज्यिक श्रेणी की है। ऐसी स्थिति में मेरे मत में ऐसे गंभीर प्रकरणों के अपराधों के प्रति किसी प्रकार का नरम रूख रखना उचित नहीं होगा। अतः मैं मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं बरामदशुदा मादक पदार्थ की भारी मात्रा को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उपयुक्त नहीं समझता हूॅ।

–:आदेश :–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त रमेश चन्द्र उर्फ शंकर की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

8. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

नोट – जांचा एवं प्रमाणित।

CHARANJEET LAL

Digitally signed by CHARANJEET LAL
Date: 2026.06.19 12:01:56 +0530